22/5/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकाशचन्द उप
पी ओ. साहब की अदालत पर पधारे हैं। अब
पेशी आगामी सप्ताह दि. 2/6/25 को पेश हो

C.NO. 49/2024 उनवान दिलखुश V/S ...

04/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के ... होकर उप। पत्रावली वास्ते बहस प्र० पत्र O. 22 R 4 CPC हेतु मिति 16/7/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

16/7/25
पत्रावली पेश हुई। वकील ... उप।
पीठासीन अधिकारी ... अस्वस्थ है।
पत्रावली हुई ... बाबते
... दिनांक 09/8/25
को पेश हो।

09/8/25 पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी व प्रार्थी अनु। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को ... 06:00 बजे तक रोक कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उप हुआ है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09 Rule 3 CPC के तहत अस्वीकृत होकर अस्वीकृत पेश्की में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तरी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)